संख्या-42/2017/1986/22-2-2016-17(187)/2006

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नईम अहमद पुत्र श्री फहीम अहमद, निवासी-जनपद-बांदा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-39257/प्रो0-5-द0या0-बैठक-28-10-2016, दिनांक 07.11.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नईम अहमद पुत्र श्री फहीम अहमद, निवासी-गौसीपुर, थाना-चिल्ला, जिला-बांदा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पूर्व में हुए वाद-विवाद को लेकर दिनांक 11.01.1996 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल व बन्दूक से 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-136/1996, 137/1996 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, ई0सी0 एक्ट, बांदा के आदेश दिनांक 22-09-1999 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 01 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय से दोषमुक्त, 01 अन्य सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय से दोषमुक्त, 01 अन्य सहअभियुक्त की मृत्यु तथा 01 अन्य सहअभियुक्त् कारागार में सजा भुगत रहा है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांदा ने बन्दी द्वारा कारित अपराध से आस-पास एवं समाज पर व्यापक प्रभाव पडा, दहशत व्याप्त रही, बन्दी द्वारा अपराध करने एवं कराने या साजिश करने की पूरी-पूरी सम्भावना होने, बन्दी शारीरिक रूप से स्वस्थ होने तथा बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने से गांव में शान्ति व्यवस्था कायम रहेगी एवं अपराधों पर अंकुश रहेगा की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। बन्दी द्वारा दिनांक 28.03.2016 तक 20 वर्ष 00 माह 14 दिन की अपरिहार एवं 25 वर्ष 05 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति ने बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी नईम अहमद (बन्दी संख्या-1945/01) पुत्र श्री फहीम अहमद, निवासी-जनपद-बांदा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-42/2017/1986/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बांदा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in